न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 138/2025 G.C.M.S. No. 2025/706 दर्ज दिनांक : 03.09.2025

अपीलार्थिगण:

1. बलवंत सिंह पुत्र जोध सिंह
2. मदन सिंह पुत्र देवी सिंह जाति राजपूत निवासी पांथेड़ी, तहसील सायला, जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. स्वरूप सिंह राठोड़ पुत्र महेन्द्र सिंह राठौड़, जाति राजपूत निवासी सिराणा, तहसील सायला, जिला जालोर

परफोमा रेस्पोडेन्ट :–

1 जामतसिंह पुत्र जवारसिंह
2. जोगसिंह पुत्र मंगलसिंह
3 झमका कंवर पत्नी स्व. चन्दनसिंह
4 किरण कंवर पुत्री चन्दन सिंह नाबालिग जरिये संरक्षक माता झमका कंवर पत्नी चन्दनसिंह
5. दुर्गसिंह पुत्र जवारसिंह
6. देशू कंवर पत्नी देवीसिंह
7. नरपत सिंह पुत्र देवीसिंह
8. पूनम सिंह पुत्र जवारसिंह
9. पुष्पेन्द्र सह पुत्र देवीसिंह
10. पोकर सह पुत्र देवीसिंह
11. सुजीकंवर पत्नी स्व. हेमसिंह
12. हडमतसिंह पुत्र जवारसिंह
13. हरिसिंह पुत्र जवारसिंह, जातियान राजपूत, निवासीगण पांथेडी, तहसील सायला, जिला जालोर
14. भूमिधारी जरिये तहसीलदार सायला, तहसील सायला, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 10/2025 बअनवान स्वरूप सिंह बनाम जामत सिंह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.08.2025

पैरोकार–

1. श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. रेस्पोडेन्ट बावजुद सूचना अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांक: 25.02.2026

अपीलान्ट्स की ओर से जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 10/2025 बअनवान स्वरूप सिंह बनाम जावत सिंह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.08.2025 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 15 की कब्जा काश्त की खातेदारी आराजी सरहद मौजा पांथेडी पटवार हल्का पांथेडी तहसील सायला मे स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 127 रकबा 0.44 हैक्टर, किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर–128 रकबा 0.62 हैक्टर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 129 रकबा 0.74 हैक्टर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर–130 रकबा 0.80 हैक्टर, किस्म चाही सोयम खसरा नम्बर 131 रकबा 1.50 हैक्टर, किस्म चाही सोयम कुल खसरा नम्बर–05 कुल रकबा 4.10 हैक्टर की आई है तथा उक्त आराजी मे वादी का 24/205 हिस्सा राजस्व रेकर्ड की वर्तमान जमाबंदी मे दर्ज है दावा बंटवाडे का व स्थाई निषेधाज्ञा का दर्ज कर नोटिस जारी किये गये एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध नोटिस तामिल के बावजूद नहीं आने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई एवं अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिकी जैर अपील पारित की। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 स्वरूप सिंह ने दावे के पद संख्या 04 में यह उल्लेखित किया है बैचान करार के समय (पार्टीशन एक्ट अपॉन) भौतिक सत्यापन के अनुसार विभाजन हो चुका था एवं उसी को लेकर विशिष्ट भू–भाग खरीदने का बताते हुऐ नक्शा परिशिष्ट–अ प्रस्तुत किया जबकि वादग्रस्त आराजी मौके पर कभी भी विभाजित नहीं रही न हीं पक्षकारों के मध्य कभी विभाजन हुआ है इस प्रकार वादी (रेस्पोडेन्ट सं.–01) ने वादग्रस्त खसरा नम्बर–131 मे अपना विशिष्ट भू भाग खरीदसुदा बताकर नक्शा परिशिष्ट–अ विशेष भू भाग बताकर बंटवाड का दावा पेश कर बंटवाडा की प्रथमिक डिकी हासिल की है अपीलान्ट मदनसिंह व बलवन्तसिंह को भेजे गये नोटिस उन्हें चस्पा करना बताया है एवं दुर्गसिंह व देसू कंवर एवं नरपतसिंह के हस्ताक्षर अंगुठे होना बताकर चस्पा किया है जबकि मदनसिंह व बलवन्तसिंह को प्रोपर तामिल ही नहीं है मदनसिंह अपीलान्ट की तामिल रिपोर्ट के पिछे 19.05.2025 को समन चस्पा करवाया है जो नरपतसिंह व देसू कंवर के हस्ताक्षर किये है एवं बलवन्तसिंह के नोटिस की पुस्त पर दुर्गसिंह के अंगुठे से चस्पा कराया है जो प्रोपर रूप से तामिल नहीं है चस्पाकर्ता की कोई रिपोर्ट नोटिस की पुस्त पर नही है की आसामी घर पर मिला या नहीं मिला लेने से इन्कार किया है इस प्रकार का कोई अंकन तामिली रिपोर्ट मे नहीं है। वादी का कब्जा पत्रावली के संलग्न नक्शा परिशिष्ट–अ अनुसार होने के संबंध मे वादी सफलता तथा वादी को कब्जा अनुसार बंटवाडा की प्राथमिक डिकी जारी किया जाना उचित प्रतीत बताया एवं कब्जा काश्त अनुसार कब्जा का बंटवाडा कराया जाकर खाता व लगान अलग दर्ज किये जाने के निर्देश तहसीलदार सायला को दिये जबकि वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकॉर्ड व मौके पर अविभाजित है इस प्रकार कब्जा काश्त मोके पर किसी का भी नहीं माना जाकर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सह खातेदार का राईट कानूनी तौर से होते हुऐ भी अधिनस्थ न्यायालय ने गलत निर्णय व डिकी पारित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

जो हर सूरत मे निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त फरमावे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.08.2025 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गयी।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट व अन्य प्रतिवादीगण को प्रेषित सम्मन पर तामिल कुन्निन्दा द्वारा कोई रिपोर्ट किए बिना एवं कोई कारण दर्शित किए बिना सम्मन चस्पा किए जाने का अंकन किया गया। चस्पा किनकी उपस्थिति में किया गया, क्यों किया गया। इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं की गयी। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट को समुचित तामिल नहीं हुयी थी तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस पर गौर नहीं कर अपीलांट प्रतिवादीगण के विरूद्ध विधि विरूद्ध रूप से एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गयी। जो कि काबिल अपास्त है।
3. वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर अपना कब्जा काश्त अंकिन करते हुए अनुलग्नक 'अ' के अनुसार विभाजन की मांग की गयी। वादी द्वारा उक्त कथित विशिष्ट भू भाग पर केवल वादी का कब्जा काश्त होने के आधार पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह साबित है कि वादी का उक्त कथित विशिष्ट भू भाग पर कब्जा काश्त है यह भी उल्लेखिनीय है कि अविभाजित सहखातेदारी भूमि की दशा में प्रत्येक सहखातेदार का अपने हिस्से तक ऐसी भूमि के प्रत्येक भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बिना कोई कारण व आधार दर्शित किए वादी की मांग अनुरूप विभाजन बाबत् अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गयी। जो विधि विरूद्ध है।
4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टियोग्य नहीं होने व अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय

अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 10/2025 बअनवान स्वरूप सिंह बनाम जावत सिंह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.08.2025 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का समुचित अनुपालन करते हुए प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने व उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर देते हुए विवाद्यकवार विवेचन व सकारण निर्णयन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। उपस्थित अपीलांट को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 13.04.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर सायला में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। पत्रावलियां इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से दो कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner